रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236266
CG-DL-E-03062022-236266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
No. 395] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

सा.का.नि. 416(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 है।

 (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 (3) ये नियम उत्पादक कंपनियों, अंतर-राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों की बकाया देय पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में, जब तक कि इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

 (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

 (ख) "करार" से निम्निलिखित अभिप्रेत और सम्मिलित है, अर्थात्:-

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादक कंपनी या विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के मध्य विद्युत क्रय करार; या

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के मध्य विद्युत आपूर्ति करार; या

(iii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण प्रणाली के अन्य उपयोक्ता के मध्य पारेषण सेवा करार;

(iv) विद्युत की आपूर्ति और पारेषण सेवाओं के लिए उत्पादक कंपनी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, और पारेषण प्रणाली के अन्य उपयोक्ता पर बाध्यकारी किसी भी नाम के ऐसे अन्य करार।

(ग) **"विलंब भुगतान अधिभार की आधार दर"** से भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत, जो कि वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसमें वह अवधि निहित है, के साथ-साथ पांच प्रतिशत और निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत के अभाव में, कोई अन्य व्यवस्था जो इसे प्रतिस्थापित करती हो, जिसे केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्टि किया हो, अभिप्रेत है;

परंतु यदि व्यतिक्रम की अवधि दो या अधिक वित्तीय वर्षों के बीच है, विलंब भुगतान अधिभार के आधार दर की गणना, अलग-अलग वर्षों में आने वाली अवधि के लिए अलग से की जाएगी;

(घ) **"व्यतिक्रम करने वाली इकाई"** से कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण प्रणाली का अन्य उपयोक्ता अभिप्रेत है जिस पर किसी उत्पादक कंपनी या विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का बकाया देय हो।

(ङ) **"व्यतिक्रम ट्रिगर तारीख"** से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) देय का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, भुगतान की देय तारीख के पश्चात एक मास या यथास्थिति, उत्पादक कंपनी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ढाई मास, जो भी बाद में आए, और:

(ii) भुगतान प्रतिभूति तंत्र का अनुरक्षण नहीं किए जाने की स्थिति में, भुगतान प्रतिभूति तंत्र की पुनः पूर्ति के लिए देय परंतु पुनः पूर्ति नहीं किए जाने की तारीख के पश्चात अगले बैंक कार्य दिवस से होगी।

(च) **"देय तारीख"** से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तक विद्युत उत्पादन कंपनी या विद्युत व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपबंधित पारेषण सेवा के लिए, विद्युत क्रय करार, विद्युत आपूर्ति करार, पारेषण सेवा करार, यथास्थिति, के अनुसार और यदि करार में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो तो ऐसी उत्पादन कम्पनी विद्युत व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल के प्रस्तुत करने की तारीख से पैंतालीस दिनों में विद्युत आपूर्ति भार के बिल का भुगतान किया जाता है।

परंतु यदि किसी बीजक के भुगतान के लिए देय तारीख किसी बैंक के गैर कार्य दिवस को पड़ती है तो, बैंक का अगला कार्य दिवस भुगतान की देय तारीख माना जाएगा।

(छ) **"विलंब भुगतान अधिभार"** से किसी उत्पादन कंपनी या विद्युत व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी से खरीदी गई विद्युत के लिए, या पारेषण प्रणाली के किसी उपयोक्ता द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को देय तारीख के पश्चात मासिक प्रभारों के भुगतान में विलंब के कारण वितरण कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है।

(ज) **"बकाया देय"** से किसी उत्पादक कंपनी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वे देय अभिप्रेत हैं, जिन्हें विद्युत क्रय करार में यथानामनिर्दिष्ट सक्षम न्यायालय या अधिकरण या विवाद समाधान अभिकरण द्वारा न रोकी गई, जिनका हिताधिकारी द्वारा देय तारीख के पश्चात भी भुगतान नहीं किया गया है और इसमें नियम 5 के अधीन पुनः अवधारित देय तारीख के पश्चात भुगतान नहीं की गई किस्तों की रकम सम्मिलित है।

(झ) **"भुगतान प्रतिभूति तंत्र"** से करार के अनुसार साख पत्र या एस्क्रो अकाउंट द्वारा समर्थित साख पत्र अभिप्रेत है:

परंतु यदि कोई बकाया देय नहीं है तो अग्रिम भुगतान भुगतान प्रतिभूति माना जाएगा:

परंतु यह और कि उत्पादक कंपनी के मामले में, यदि कोई बकाया देय नहीं है तो, भुगतान प्रतिभूति अपेक्षाकृत कम अवधि या कम क्षमता के लिए हो सकती है।

(ञ) **"विनियमित इकाई**" से वह व्यतिक्रम करने वाली इकाई अभिप्रेत है जिसकी विद्युत आपूर्ति इन नियमों के अनुसार विनियमित की गई है।

(ट) **"विनियामक इकाई"** से यथास्थिति ऐसी उत्पादक कंपनी या विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी, अभिप्रेत है जो व्यतिक्रम करने वाली इकाई की विद्युत आपूर्ति को विनियमित करने के लिए, जिसके नियंत्रण क्षेत्र में विद्युत का स्रोत स्थित है, उस क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, को अधिसूचित करता है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **विलंब भुगतान अधिभार .-** (1) विलंब भुगतान अधिभार व्यतिक्रम के पहले मास की अवधि के लिए लागू विलंब भुगतान अधिभार की आधार दर पर देय तारीख के पश्चात् बकाया भुगतान पर देय होगा।

(2) उत्तरोत्तर मासों में व्यतिक्रम के लिए विलंब भुगतान अधिभार की दर में विलंब के प्रत्येक माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी परंतु विलंब भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

परंतु वह दर जिस पर विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाएगा, करार, यदि कोई हो, में विनिर्दिष्टि विलंब भुगतान अधिभार की दर से अधिक नहीं होगी।

4. **विलंब भुगतान अधिभार के प्रति समायोजन -**किसी उत्पादन कंपनी या व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी को उनसे खरीदी गई विद्युत के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या पारेषण प्रणाली के किसी उपयोक्ता द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सभी भुगतान सबसे पहले विलंब भुगतान अधिभार के प्रति और तत्पश्चात, सबसे पुराने अतिदेय बिलों से आरंभ करते हुए, मासिक प्रभारों के प्रति, समायोजित किए जाएंगे।

5. **बकायों का परिसमापनः**- (1) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख तक विलंब भुगतान अधिभार सहित कुल बकाया देय को पुनः निर्धारित किया जाएगा और किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के लिए देय तारीखों को निम्नलिखित बराबर मासिक किस्तों की अधिकतम संख्या में पुनः अवधारित किया जाएगाः-

बकाया देय रकम (करोड़ रूपये में)	बराबर मासिक किस्तों की अधिकतम संख्या (मास)
500 तक	12
501 - 1,000	20
1,001 - 2,000	28
2,001 - 4,000	34
4,001 - 10,000	40
>10,000	48

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, को बकाया देय तथा किस्तों की संख्या जिनमें, बकाया देय का भुगतान किया जाना है, को लिखित में संप्रेषित करेगा और यह संप्रेषण इन नियमों के प्रख्यापन से तीस दिन के भीतर भेजा जाएगा।

परंतु यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को नियम 5 के उप नियम 1 के अनुसार देय के पुनः निर्धारण को तीस दिन के भीतर संप्रेषित करने में विफल रहता है तो इस पर ये उपबंध लागू नहीं होंगे।

परंतु यह और कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी मास में, उस मास की बराबर मासिक किस्त से अधिक का भुगतान भी कर सकता है।

परंतु यह और भी कि बराबर मासिक किस्त के भुगतान की पहली देय तारीख इन नियमों की अधिसूचना से पैंतालीस दिन के पश्चात तुरंत आने वाले मास की पांचवी तारीख होगी और तत्पश्चात की सभी बराबर मासिक किस्तें तत्पश्चात के मासों की पांचवी तारीख को देय होंगी।

उदाहरणः यदि ये नियम 10 मार्च, 2022 को प्रभावी होते हैं तो बराबर मासिक किस्त की देय तारीख 05 मई, 2022 से आरंभ होगी और तत्पश्चात की बराबर मासिक किस्तें पश्चात के मासों की 05 तारीख अर्थात् 05 जून, 2022 को और इसी प्रकार आगे देय होंगीः

परंतु यह भी कि सभी यथास्थिति, संबंधित उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को किस्तों का भुगतान, उनके वैयक्तिक बकाया देय के अनुपात पर निर्भर करते हुए, यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

(3) नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि अनुज्ञप्तिधारी इस नियम के अधीन नियत की गई किस्त के अनुसार बकायों के भुगतान हेतु सहमत होता है, और इन किस्तों का समय से भुगतान करता है तो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार भुगतान योग्य नहीं होगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन किसी किस्त के भुगतान में विलंब के मामले में, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को सम्पूर्ण बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

(5) इस नियम के अनुसरण में बकायों का पुनर्निर्धारण न होने की स्थिति में, वितरण कंपनी द्वारा किए गए सभी भुगतानों को सबसे पहले बकायों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

6. भुगतान प्रतिभूति तंत्र का संचालन और इसके परिणाम- (1) यथास्थिति, कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण प्रणाली का अन्य उपयोक्ता, बिना शर्त, अप्रतिसंहणीय और पर्याप्त भुगतान प्रतिभूति तंत्र अनुरक्षित करेगा।

(2) भुगतान प्रतिभूति तंत्र का अनुरक्षण नहीं करने की स्थिति में उत्पादक कंपनियां, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति का विनियमन करेंगे।

(3) विद्युत की आपूर्ति केवल तभी की जाएगी यदि पर्याप्त भुगतान प्रतिभूति तंत्र अनुरक्षित किया गया हो या इसकी अनुपस्थिति में, अग्रिम भुगतान किया जाएः

परंतु यदि उत्पादक कंपनी भुगतान प्रतिभूति तंत्र के बिना या अग्रिम भुगतान के बिना विद्युत की आपूर्ति करती है तो, वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विलंब भुगतान अधिभार संग्रहीत करने का अधिकार खो देगी।

परंतु यह और कि व्यतिक्रम ट्रिगर तारीख तक बकाया देय का भुगतान नहीं होने की स्थिति में, उत्पादक कंपनी का विद्युत की आपूर्ति करने का दायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संवेदित विद्युत के पचहत्तर प्रतिशत तक घट जाएगा और संवेदित विद्युत के शेष पच्चीस प्रतिशत को विद्युत विनिमय के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी भुगतान प्रतिभूति तंत्र स्थापित नहीं करता या बकाया देय के भुगतान में तीस दिन की अवधि तक व्यतिक्रम जारी रखता है तो उत्पादक कंपनी 100% संवेदित विद्युत को विद्युत विनिमय के माध्यम से बेचने की हकदार होगी।

(4) व्यतिक्रम की अवधि के दौरान, वितरण अनुज्ञप्तिधारी करार के अधीन लागू नियत प्रभारों या क्षमता प्रभारों के भुगतान का उत्तरदायी बना रहेगा।

(5) ऐसी विद्युत के विक्रय से लाभ, जो ऐसी विद्युत के विद्युत विनिमय में विक्रय मूल्य और ऊर्जा प्रभार, पारेषण प्रभार; अन्य आनुषंगिक प्रभारों सहित उत्पादक कंपनी द्वारा वहन किए गए व्ययों का अंतर होगा, निम्नलिखित क्रम में समायोजित किए जाएंगेः-

(i) नियत प्रभारों की वसूली;

(ii) अतिदेय रकम का परिसमापन;

(iii) अतिशेष का वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादक कंपनी के बीच 75:25 के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा।

(6) विनियामक इकाई उपर्युक्त के लिए विस्तृत गणना विनियमित इकाई के साथ मासिक आधार पर साझा करेगी।

7. **व्यतिक्रम करने वाली इकाईयों के लिए पहुंच का विनियमनः-** उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के ढाई मास के पश्चात भी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण प्रणाली के अन्य उपयोक्ता द्वारा देय का भुगतान नहीं करने की स्थिति में, या नियम 5 के अधीन नियत किस्तों के भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में, व्यतिक्रम करने वाली इकाई की विद्युत आपूर्ति निम्नानुसार विनियमित की जाएगीः-

(1) विद्युत विनिमय में विद्युत के विक्रय और क्रय सहित इसके लिए, अल्पकालिक पहुंच का संपूर्ण विनियमन किया जाएगाः

परंतु पहले से अनुमोदित अल्पकालिक पहुंच पर भी यही लागू होगाः

परंतु यह और कि ग्रिड प्रतिभूति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र इस नियम के अधीन अल्पकालिक पहुंच के विनियमन की अस्थायी समीक्षा, और ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड कर सकता है।

(2) यदि अल्पकालिक पहुंच के विनियमन के एक मास पश्चात भी या यदि देय का साढ़े तीन मास तक भुगतान नहीं किया जाता है तो, अल्पकालिक पहुंच के संपूर्ण विनियमन के अलावा, दीर्घ और मध्यावधि पहुंच को दस प्रतिशत तक विनियमित किया जाएगा।

(3) दीर्घकालिक पहुंच और मध्यावधि खुली पहुंच को ऐसी रीति से कम किया या वापस लिया जाएगा कि आहरण सूची में कमी की मात्रा व्यतिक्रम के प्रत्येक माह के लिए उत्तरोत्तर दस प्रतिशत बढ़ जाए।

(4) बकाया देय के भुगतान पर इस नियम के अधीन पहुंच का विनियमन समाप्त हो जाएगा और इसे शीघ्रातिशीघ्र किंतु, दो दिन के भीतर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा।

(5) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र इन नियमों के अनुरूप पहुंच के विनियमन को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगा।

(6) आहरण सूची में ऐसी कमी के मामले में, उत्पादक स्टेशन में अपने मूल हिस्से के लिए क्षमता प्रभारों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों के भुगतान का उत्तरदायित्व भी विनियमित कंपनी का रहेगा।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनों के लिए "अल्पकालिक खुली पहुंच" अभिव्यक्ति से अभिप्राय एक वर्ष की अवधि तक के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक पहुंच से है, मध्यावधि खुली पहुंच से अभिप्राय एक वर्ष से तीन वर्ष के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक पहुंच से है और दीर्घकालिक खुली पहुंच से अभिप्राय तीन वर्ष से अधिक तक की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक पहुंच से है।

8 **उत्पादक कंपनी का आपूर्ति दायित्वः**- (1) यदि उत्पादक कंपनी किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को करार के अनुसार संवेदित विद्युत का प्रस्ताव करने में विफल रहती है और इसकी सहमति के बिना संवेदित विद्युत को किसी अन्य पक्ष को बेच देती है तो उक्त उत्पादक कंपनी को, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित भार प्रेषण केन्द्र से इसकी शिकायत किए जाने पर, विद्युत विनिमय में और डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग पोर्टल पर प्रतिभागिता और संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इस व्यतिक्रम का संज्ञान लेने की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए उस उत्पादक स्टेशन से किसी नई अल्पकालिक संविदा के निर्धारण से वंचित कर दिया जाएगा।

(2) ऐसी रोक की अवधि दूसरे व्यतिक्रम के लिए छह मास के लिए बढ़ा दी जाएगी और प्रत्येक क्रमागत व्यतिक्रम के लिए एक वर्ष होगी। उत्पादक कंपनी पर ऐसी रोक उत्पादक कंपनी द्वारा किए गए व्यतिक्रम के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षतिपूर्ति की मांग के अधिकार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना होगी।

परंतु यह नियम, इन नियमों के नियम 6 और नियम 7 के अधीन विद्युत आपूर्ति के विनियमन के मामले में, तीसरे पक्षों को संवेदित विद्युत के विक्रय पर लागू नहीं होगा।

9. **किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग नहीं की गई विद्युतः-** (1) कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक उत्पादक कंपनी, जिसके साथ उसने विद्युत क्रय का करार किया है, से प्रत्येक दिन के लिए विद्युत की मांग हेतु, उस दिन के लिए डे-अहेड मार्केट में प्रस्ताव या बोलियां रखने के लिए समय की समाप्ति से कम-से-कम दो घंटे पहले अपने

कार्यक्रम से अवगत कराएगा, जिसमें विफल रहने पर उत्पादक कंपनी मांग नहीं की गई विद्युत का विद्युत विनिमय में विक्रय कर सकती है।

(2) ऐसी विद्युत के विक्रय से प्राप्त लाभ निम्नलिखित क्रम में समायोजित किए जाएंगे:-

(i) उत्पादक कंपनी को तीन पैसे प्रति यूनिट तक भुगतान;

(ii) नियत प्रभारों की वसूली;

(iii) अतिदेय रकम का परिसमापन;

(iv) अतिशेष का वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादक कंपनी के बीच 50:50 के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा।

(3) इस लाभ की गणना ऐसी विद्युत के विद्युत विनिमय में विक्रय मूल्य और ऊर्जा प्रभार, पारेषण प्रभार और अन्य आनुषंगिक प्रभारों सहित उत्पादक कंपनी द्वारा वहन किए जा रहे व्ययों के अंतर के रूप में की जाएगी।

(4) मांग नहीं की गई विद्युत के लिए नियत प्रभारों के भुगतान का दायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी का रहेगा।

(5) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी मस्ट रन विद्युत संयंत्र से विद्युत की मांग नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मस्ट रन विद्युत संयंत्र के स्वामी उत्पादक कंपनी को विद्युत के क्रय के लिए करार में विनिर्दिष्ट दर पर, और यदि करार में कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है तो विद्युत (मस्ट रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान देय होगा।

10. **विलंब भुगतान अधिभार के लिए भुगतान और समायोजन का क्रमः-** वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी या किसी व्यापार कंपनी को इससे विद्युत के क्रय के लिए देय सभी बिल, बिल प्रस्तुत करने की तारीख और समय के संबंध में समय अंकित होंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया भुगतान पहले सबसे पुराने बिल के लिए और फिर दूसरे सबसे पुराने बिल के लिए और फिर इसी क्रम में समायोजित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक कि सभी पुराने बिलों का भुगतान न कर दिया गया हो, तब तक किसी बिल के भुगतान को समायोजित नहीं किया जाए।

परंतु विलंब भुगतान अधिभार के लिए कोई समायोजन नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

11. **भार प्रेषण केन्द्रों को सुरक्षित रखनाः-** इन नियमों के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई के कारण उत्पन्न मुकदमेबाजी की लागत सहित किन्ही परिणामों या दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सुरक्षित रखा जाएगा।

[फा. सं. 23/22/2019-आरएंडआर पार्ट-4]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2022

G.S.R. 416(E).—ln exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and in supersession of the Electricity (Late Payment Surcharge) Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, Commencement and Applicability.** - (1) These rules may be called the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

 (3) These rules shall be applicable to outstanding dues of generating companies inter-state transmission licensees and electricity trading licensees.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires ,-

 (a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) **"agreement"** means and includes the following, namely:-

(i) Power Purchase Agreement between the distribution licensee and the generating company or electricity trading licensee; or

(ii) Power Supply Agreement between the distribution licensee and the electricity trading licensee; or

(iii) Transmission Service Agreement between the transmission licensee and distribution licensee or other user of transmission system;

(iv) such other agreements by whatever name called and binding on the generating company ,electricity trading licensee, transmission licensee, distribution licensee, and other user of transmission system, for supply of power and transmission services.

(c) **"base rate of Late Payment Surcharge"** means the marginal cost of funds based on lending rate for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year in which the period lies, plus five per. cent and in the absence of marginal cost of funds based lending rate, any other arrangement that substitutes it, which the Central Government may, by notification, in the Official Gazette, specify:

Provided that if the period of default lies in two or more financial years, the base rate of Late Payment Surcharge shall be calculated separately for the periods falling in different years ;

(d) **"defaulting entity"** means a distribution licensee or other user of transmission system having outstanding dues of a generating company or electricity trading licensee or transmission licensee.

(e) **"default trigger date"** means,-

(i) in case of non-payment of dues, one month after the due date of payment or two and half months after the presentation of bill by the generating company, electricity trading licensee or the transmission licensee, as the case may be, whichever is later, and:

(ii) in case of non-maintenance of the payment security mechanism, shall be from the next bank working day after the payment security mechanism due to be replenished but is not done.

(f) **"due date"** means the date by which the bill for the charges for power supplied by the generating company or electricity trading licensee or for the transmission service provided by a transmission licensee are to be paid, in accordance with the agreement , as the case may be, and if not specified in the agreement , forty-five days from the date of presentation of the bill by such generating company, electricity trading licensee or transmission licensee:

Provided that if due date for payment of any invoice falls on a bank non-working day, the next bank working day shall be considered as due date for payment.

(g**) "Late Payment Surcharge "** means the charges payable by a distribution licensee to a generating company or electricity trading licensee for power procured from it, or by a user of a transmission system to a transmission licensee on account of delay in payment of monthly charges beyond the due date.

(h**) "outstanding dues"** means the dues of a generating company, electricity trading licensee, or a transmission licensee, **not stayed by a competent court or Tribunal or dispute resolution agency as designated in the Power Purchase Agreement,** which remains unpaid by the beneficiary beyond the due date and includes the amount of installment not paid after the re-determined due date under rule 5.

(i) **"payment security mechanism"** means Letter of Credit or Letter of Credit backed by Escrow Account as per the agreement:

IndiaCode

Provided that, advance payment shall constitute payment security if there are no outstanding dues:

Provided further that the payment security may be for a shorter duration or lower capacity in case of generating company, if there are no outstanding dues:

(j) **"regulated entity"** means the defaulting entity whose power supply is regulated in accordance with these rules.

(k) **"regulating entity"** means the generating company or the electricity trading licensee or the transmission licensee or the Central Transmission Utility as the case may be, which notifies the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre in whose control area the source of power is located, to regulate the power supply of the defaulting entity.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Late Payment Surcharge.-**(1) Late Payment Surcharge shall be payable on the payment outstanding after the due date at the base rate of Late Payment Surcharge applicable for the period for the first month of default.

(2) The rate of Late Payment Surcharge for the successive months of default shall increase by 0.5 per. cent for every month of delay provided that the Late Payment Surcharge shall not be more than three per. cent higher than the base rate at anytime:

Provided that the rate, at which Late Payment Surcharge shall be payable, shall not be higher than the rate of Late Payment Surcharge specified in the agreement, if any.

4. **Adjustment towards Late Payment Surcharge.** - All payments by a distribution licensee to a generating company or a trading licensee for power procured from it or by a user of a transmission system to a transmission licensee shall be first adjusted towards Late Payment Surcharge and thereafter, towards monthly charges, starting from the longest overdue bill.

5. **Liquidation of arrears.-** (1) The total outstanding dues including Late Payment Surcharge upto the date of the notification of these rules shall be rescheduled and the due dates re-determined for payment by a distribution licensee in the following maximum number of equated monthly installments:-

Outstanding dues amount (in Rs. Crore)	**Maximum no. of equated monthly installments (months)**
Up to 500	**12**
501 - 1,000	**20**
1,001 - 2,000	**28**
2,001 - 4,000	**34**
4,001 - 10,000	**40**
>10,000	**48**

(2) The distribution licensee shall communicate, in writing, to the generating company, transmission licensee, electricity trading licensee, as the case may be, the outstanding dues and number of installments in which, the outstanding dues would be paid and this communication shall be sent within thirty days of the promulgation of these rules:

Provided that if distribution licensees fails to communicate to generating company, transmission licensee, electricity trading licensee, as the case may be, the rescheduling of dues in accordance with sub-rule (1) of rule 5 within thirty days, these provisions shall not be applicable to it:

Provided further that the distribution licensee may make payment in a month more than the equated monthly installment for the month.

Provided also that the first due date for payment of the equated monthly installment shall be the fifth day of the immediate month that comes after forty five days from notification of these rules and due date for all subsequent equated monthly installments shall be due on fifth day of date the subsequent months.

Illustration: If these rules come into effect on 10th March, 2022 then the due date of the equated monthly installment shall start from 5th May, 2022 and subsequent equated monthly installment shall be due on 5th of subsequent months i.e. 5th June, 2022 and so on:

Provided also that the payment of installment shall be done to all the concerned generating companies, transmission licensees, electricity trading licensees, as the case may be, on pro-rata basis, depending upon the proportion of their individual outstanding dues.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 3, if the distribution licensee agrees to payment of the arrears dues as per the installment fixed under the rule, and makes timely payment of these installment then Late Payment Surcharge shall not be payable on the outstanding dues from the day of the notification of these rules:

(4) In case of delay in payment of an installment under sub-rule (1), Late Payment Surcharge shall be payable on the entire outstanding dues as on the date of notification of these rules.

(5) In case of non rescheduling of the arrears in accordance with this rule, all payments made by the Distribution Company shall first be adjusted against the arrears.

6. Operationalising the payment security mechanism and its consequences- (1) A distribution licensee or other user of transmission system, as the case may be, shall maintain unconditional, irrevocable and adequate payment security mechanism.

(2) In case of non-maintenance of payment security mechanism generating companies, electricity trading licensees and transmission licensees shall regulate power supply to the distribution licensee in accordance with these rules.

(3) The supply of power shall only be made if an adequate payment security mechanism is maintained or in the absence thereof, advance payment is made:

Provided that in case the generating company supplies power without the payment security mechanism or without advance payment, it shall lose the right to collect the late payment surcharge from the distribution licensee:

Provided further that in case of non-payment of outstanding dues by the default trigger date, the obligation of the generating company to supply power shall be reduced to Seventy five per cent of the contracted power to distribution licensee and balance Twenty five per cent of contracted power may be sold by the generating company through the Power Exchanges.

Provided also that if the distribution licensee does not establish payment security mechanism or continues to default in payment of outstanding dues for a period of thirty days then the generating company shall be entitled to sell 100 per. cent of the contracted power through Power Exchanges.

(4) During the period of default, the distribution licensee shall continue to be liable for the payment of fixed charges or capacity charges as applicable under the agreement.

(5) The gains from the sale of such power, which shall be the difference between selling price of such power in the power exchange and the expense borne by the generating company including

energy charges, transmission charges; other incidental charges and shall be adjusted in the following order:-

(i) recovery of fixed charges;

(ii) liquidation of overdue amount;

(iii) the balance shall be shared in the ratio of 75:25 between the distribution licensee and the generating company.

(6) The regulating entity shall share the detailed calculation for above, with the regulated entity on a monthly basis.

7. Regulation of access to defaulting entities.-In case of non-payment of dues, by the distribution licensee or other user of transmission system, even after two and half months from presentation of bill by the generating company or transmission licensee or trading licensee, or in case of default in the payment of instalments fixed under rule 5, the power supply to the defaulting entity shall be regulated as follows:-

(1) Short-term access, for sale and purchase of electricity including in the power exchange shall be regulated entirely:

Provided that the same shall be also applicable on already approved short-term access:

Provided further that the National Load Despatch Centre may, under exceptional circumstances for grid security, temporarily review the regulation of short-term access under this rule, and record the reasons for doing so, in writing.

(2) If, even one month after the regulation of the short-term access or if the dues have remained unpaid for three and a half months, apart from the regulation of the short-term access in its entirety, the long and medium- term access shall be regulated by Ten per cent.

(3) Reduction or withdrawal of long-term access and medium-term open access shall be in such manner that the quantum of reduction in drawl schedule increases progressively by Ten per cent for each month of default.

(4) On payment of outstanding dues, the regulation of access under this rule shall end and it shall be restored at the earliest, but not later than two days.

(5) National Load Despatch Centre shall issue detailed procedure to implement the regulation of access according to these rules.

(6) In case of such reduction of drawl schedule, the liability for payment of capacity charges for its original share in the generating station as also the inter-state transmission charges shall remain with the regulated entity.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression "short-term access" means access to inter-state transmission system for periods up to one year, medium term open access means access to inter-state transmission system for one to three years and long-term open access means access to inter-state transmission system for periods of more than three years.

8. Supply obligation of the generating company. – (1) In case a generating company fails to offer the contracted power as per the agreement to a distribution licensee and sells the contracted power without its consent to any other party, the said generating company, on a complaint to this effect by the licensee to the load dispatch centre concerned, shall be debarred from participating in Power Exchanges and on the Discovery of Efficient Electricity Pricing portal and scheduling of any new short-term contracts from that generating station for a period of three months from the date on which the default has been taken cognizance by the concerned load dispatch centre.

(2) The period of debarment shall increase to six months for second default and shall be one year for each successive default. Such debarment of the generating company shall be without prejudice to the rights of the distribution licensee for seeking compensation for the default by the generating company:

Provided that this rule shall not be applicable on the sale of contracted power to third parties, in case of regulation of power supply under rule 6 and rule 7 of these rules.

9. **Power not requisitioned by a distribution licensee.-**(1) A distribution licensee shall intimate its schedule for requisitioning power for each day from each generating company with which it has an agreement for purchase of power at least two hour before the end of the time for placing proposals or bids in the day ahead market for that day, failing which the generating company may sell the un-requisitioned power in the power exchange.

(2) The gain from the sale of such power shall be adjusted in the following order:-

(i) payment to generating company of upto three paise per unit;

(ii) recovery of fixed charges;

(iii) liquidation of overdue amount;

(iv) the balance shall be shared in the ratio of 50:50 between the distribution licensee and the generating company.

(3) The gain will be calculated as the difference between selling price of such power in the power exchange and the expense borne by the generating company including energy charges, transmission charges and other incidental charges.

(4) The liability of payment of fixed charges towards the un-requisitioned power shall remain with the distribution licensee.

(5) In case a distribution licensee does not requisition power from a must-run power plant, the compensation shall be payable by the licensee to the generating company owning the must-run power plant at the rate specified in the agreement for purchase of power and if no rate is specified in the agreement then in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules,2021.

10. Order of payment and adjustment towards Late Payment Surcharge.- All the bills payable by a distribution licensee to a generating company or a transmission company or a trading company for power procured from it, shall be time tagged with respect to the date and time of submission of the bill and the payment made by the distribution licensee shall be adjusted first against the oldest bill and then to the second oldest bill and so on so as to ensure that payment against a bill is not adjusted unless and until all bills older than it have been paid for:

Provided that any adjustment towards late payment surcharge shall be done in the manner as specified in rule 4.

11. Indemnifying Load Dispatch Centers: The concerned National Load Despatch Centre or Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre shall stand indemnified against any consequences or liability, including the cost of litigation that arise on account of action taken under these rules.

[F. No. 23/22/2019-R&RPart-4]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.03 22:42:17 +05'30'